न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–131/2015
CIS NO.-TS-279/2018

मृतक कृपा मिश्र के विधिक वारिसान.....वादी

बनाम

विरेन्द्र मिश्र.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
17.10.2023	वादी की ओर से पैरवी है। वादी की ओर से एक आवेदन दिनांक 13.01.2023 अंतर्गत आदेश 06 नियम 17 एवं दफा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। जो आज दिनांक 17.10.2023 को आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद में टंकक की गलती से कुछ अनावश्यक शब्द टाईप हो गये है जिन्हें वादपत्र से हटाना जरूरी है तथा कुछ शब्द गलत टंकित हो गये है जिसे सुधार करना जरूरी है। इस संशोधन से प्रतिवादी को कोई क्षति नही हो रही है। प्रस्तुत संशोधन औपचारिक है। इससे वाद की प्रकृति में कोई बदलवा नही हो रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के संशोधन आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् का आभारी रहेगा। प्रतिवादी की ओर वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद अभी बहस हेतु नियत है। आदेश 06 नियम 17 में कोई भी पक्षकार न्यायालय कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर अपने अभिवचनों को परिवर्तित या संशोधित करने के लिए अनुज्ञाप्त कर सकेगा और वे सभी संशोधन किये जायेगें। जो दोनो पक्षों के बीच विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के आवधारण के परियोजन के लिए आवश्यक हो। वादी द्वारा प्रस्तावित संशोधन सामान्य प्रकृति का है। इससे वाद की प्रकृति पर कोई प्रभाव पडना प्रतीत नही होता है लेकिन वादी के द्वारा अगर वादपत्र दाखिल करते समय सतर्कता बरती जाती तो प्रस्तुत आवेदन की आवश्यकता नही होती। अतः ऐसी दशा में न्यायहित में	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–131/2015</u>

<u>CIS NO.-TS-279/2018</u>

मृतक कृपा मिश्र के विधिक वारिसान.....वादी

बनाम

विरेन्द्र मिश्र.....प्रतिवादी

लगातार 17.10.2023	वादी का आवेदन मो0–1000/– रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह विधिक समय सीमा के तहत वादपत्र में आवेदनानुसार अपेक्षित संशोधन करें। वाद दिनांक 30.10.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	